न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील पेट्रोलियम एक्ट 184/2019/अजमेर (2019/00184)

एस.के.रिफायनरी एण्ड केमिकल्स जरिये प्रोपराईटर हाजी सुभान खान एच. 96 रिको इन्डस्ट्रीयल एरिया गेगल तहसील व जिला अजमेर।

अपीलार्थी

बनाम

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर
2. उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 154 पेट्रोलियम रूल्स 2002 विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर दिंनाक 31–05–2019 प्रार्थना पत्र संख्या 8295/2019

————

उपस्थितः 1– श्री समीर अहमद खान, अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक : 18–4–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी हाजी सुभान खान मैसर्स एस.के. रिफायनरी एण्ड केमीकल्स ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेट्रोलियम संवर्ग–बी के तहत जारी अनुज्ञा पत्र संख्या 104/2009 के नवीनीकरण बाबत प्रस्तुत किया जिस पर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा उखण्ड अधिकारी अजमेर व पुलिस अधीक्षक अजमेर से रिपोर्ट तलब की गई उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने फैक्ट्री के ऊपर से हाईटेंशन लाईन गुजरने तथा अग्नि शमन यंत्र के पुराने तथा अवधि पार होने तथा भण्डारण स्थल पर विद्युत फिटिंग लोहे के पाईप में नहीं होकर प्लास्टिक के पाईप में हो रही है जो सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है तथा भण्डारण स्थल पर चौकीदार गैस के चुल्हे पर खाना बनाने के संबंध में प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र दिनांक 31–5–2019 को निरस्त कर दिया। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश दिनांक 31–5–2019 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र संख्या 104/2009 को जिन कथनों के आधार पर नवीनीकरण नहीं करने का निर्णय लिया गया है जिसका निराकरण अपीलार्थी द्वारा कर दिया गया है परन्तु वास्तविकता यह है कि उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पूर्व में 2009 से लेकर 2014 तक जिन परिस्थितियों के तहत नवीनीकरण किया था वहीं परिस्थितियां बाद में भी समान होने के बावजूद जानबूझकर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपीलार्थी द्वारा इसके संबंध में शिकायत करने के कारण गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जिसको आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया है जो विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थी ने सहायक अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से जारी पत्र जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि फैक्ट्री के पास से गुजर रही हाईटेंशन लाईन को 10 फीट दूर हटाने बाबत लिखा है इस संबंध में पत्र में उल्लेखित है कि हाईटेंशन लाईन के पास कोई उद्योग लगाना चाहे है तो हाईटेंशन लाईन को कोई नुकसान नहीं है तथा मौके पर अपीलार्थी द्वारा 5000 लीटर पानी का टेंक भी बनवा दिया गया है तथा मौके पर किसी प्रकार का ज्वलनशील सामग्री नहीं है तथा गैस चूल्हे को भी मौके से हटवा दिया गया है अपीलार्थी द्वारा समस्त शर्तो की पूर्ति करने के बावजूद भी अपीलार्थी का नवीनीकरण नहीं किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी ने 2009 से ही पेट्रोलियम संवर्ग–बी के तहत अनुज्ञा पत्र संख्या 104/2009 प्राप्त की तब से उद्योग स्थापित कर रखा है तथा अपीलार्थी का उद्योग अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के अभाव में रूका हुआ है जबकि अपीलार्थी का उद्योग में पेट्रोलियम बी श्रेणी का कम ज्वलनशील पदार्थ होता है इसलिए अपीलार्थी को उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना करने के बावजूद भी अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किया। अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र समय–समय पर पूर्व में नवीनीकरण किया गया था परन्तु उपखण्ड अधिकारी द्वारा गलत रिपोर्ट दिये जाने के पश्चात अपीलार्थी द्वारा समस्त नियमों एवं उनके द्वारा लगाये गये आक्षेपों को दुरूस्त करवाये जाने के बावजूद भी जिला मजिस्ट्रेट ने अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं कर कानूनी भूल की है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–5–2019 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी का पेट्रोलियम संवर्ग–बी के

तहत जारी अनुज्ञा पत्र संख्या 104/2009 जो कि मार्च 2014 तक नवीनीकृत था। उपजिला मजिस्ट्रेट, अजमेर की जांच रिपोर्ट में उल्लेखित हैकि भण्डारण स्थल के ऊपर से उच्च क्षमता विद्युत लाईन गजर रही है तथा चौकीदार गैस चूल्हे पर खाना बनाता है। जो सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होने के कारण आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं है। उक्त आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 31–5–2019 द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र सक्षम स्तर पर नवीनीकरण नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी सहायक अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मदार अजमेर ने उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 1798 दिनांक 23–2–2010 में उललेखित किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में उक्त हाईटेंशन लाईन को हटाना या दूर करना संभव नहीं है हाईटेंशन लाईन के पास कोई उद्योग लगाना चाहते है तो हाईटेंशन लाईन से उद्योग को कोई नुकसान नहीं है। साथ ही सहायक अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 मदार अजमेर के पत्र क्रमांक 760 दिनांक 22–7–2009 में अंकित किया है कि प्रस्तावित स्थल से गुजर रही हाईटेंशन लाईन के पास पेट्रोलियम क्लास–बी के संग्रहण से इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विद्युत विभाग की उक्त रिपोर्ट को अनदेखा कर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपीलार्थी द्वारा पेट्रेलियम रूल्स 2002 अन्तर्गत धारा 154 के तहत इस न्यायालय में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश दिनांक 31–5–2019 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने नोन स्पीकिंग आदेश पारित किया है यह आदेश की परिभाषा में नहीं आता है यह केवल मात्र एक पत्र है जिसमें अपीलार्थी को केवल सूचित किया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र मार्च 2014 तक नवीनीकरण होता आ रहा है पत्रावली में उपलब्ध जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर की रिपोर्ट दिनांक 23–6–2014 में अपीलार्थी को पेट्रोलियम संवर्ग–बी के संग्रहण अनुज्ञापत्र जारी कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है, का अंकन है। उपजिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 3860 दिनांक 31–7–2014 में उल्लेख किया है कि अपीलार्थी के अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के संबंध में तहसीलदार से जांच करवाई गई तथा स्वयं के द्वारा भी मौका निरीक्षण किया गया। उक्त रिपोर्ट के साथ तहसीलदार द्वारा की गई जांच रिपोर्ट एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा किये गये मौका निरीक्षण की भी कोई रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्न नहीं है जिससे रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार, अजमेर की रिपोर्ट दिनांक 21–1–2019 में अंकित किया गया है कि मौके पर स्थित फैक्ट्री में 35X51 वर्गफुट मे पक्की दीवार पर टीनशेड निर्मित है जो केमीकल भण्डारण हेतु निर्मित है जिसमें एक कमरे के ऊपर 5000 लीटर पानी का टेक निर्मित है एवं आंग बुझाने हेतु मौके पर मिट्टी से भरी चार बाल्टी व नवीनतम 4 अग्निशमन यंत्र लगे हुए है। उक्त फैक्ट्री के पास से हाईटेंशन लाईन गुजर रही है जिसे हटवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा विभाग को पत्र लिख गया है तथा अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा सूचित किया है कि उक्त हाईटेंशन लाईन से आपके उद्योग को कोई नुकसान नहीं है। उक्त केमीकल कम ज्वलनशील है एवं पेट्रोलियम–बी श्रेणी में आता है जो धीरे–धीरे जलता है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है सहायक अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 मदार अजमेर की रिपोर्ट क्रमांक 1798 दिनांक 23–2–2010 का अवलोकन किया गया जिसमें अकित किया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में उक्त हाईटेंशन लाईन को हटाना या दूर करना संभव नहीं है हाईटेंशन लाईन के पास कोई उद्योग लगाना चाहते है तो हाईटेंशन लाईन से उद्योग को कोई नुकसान नहीं है। साथ ही पत्र क्रमांक 760 दिनांक 22–7–2009 में यह भी अंकित किया है कि प्रस्तावित स्थल से गुजर रही हाईटेंशन लाईन के पास पेट्रोलियम क्लास–बी के संग्रहण से इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा मौके पर 5000 लीटर पानी का टेंक का निर्माण करवा दिया गया है तथा समस्त शर्तो की पालना कर दी गई है। साथ ही पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज या शिकायत नहीं है कि उक्त रिफायनरी से किसी प्रकार की कोई जनहानि हुई हो। उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र संख्या 104/2009 दिनांक 31–5–2019 द्वारा निरस्त कर दिया जो विधिसम्मत एवं नोन स्पीकिंग होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,) अजमेर का आदेश क्रमांक/न्याय/2019/8995 दिनांक 31–5–2019 निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी के उद्योग/रिफायनरी परिसर की एवं उसके आस–पास क्षैत्र की विधिवत जांच करे तथा अपीलार्थी द्वारा अनुज्ञापत्र के आधार पर सुरक्षा मानको की शर्तो की पालना की जा रही है या नहीं, रिफायनरी के आस–पास कोई आबादी बसी हुई न हो बाबत मौके की जांच कर नये सिरे से प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर देकर नये सिरे से निर्णय पारित करे।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर